

; 0ih0 uhV ; 0th0&2018 dh f}rh; pdz dh vku ykbZ
dknfl fyax grq l kekl; funk

- प्रथम काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी यदि अपनी सीट से त्याग देना चाहते हैं, तो वह दिनांक 8.8.2018 को सायं 4.00 बजे संबंधित नोडल सेन्टर पर त्याग-पत्र दे सकते हैं। इसके उपरांत किसी दशा में त्याग-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। (त्याग-पत्र दिये जाने संबंधी शर्तें शासनादेश/ब्रोशर में उल्लिखित हैं)
- द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के माध्यम से आवंटित/पुनरावंटित होने वाले अभ्यर्थियों को संबंधित नोडल सेन्टर पर प्रवेश हेतु निर्धारित तिथि के अन्दर रिपोर्ट करना अनिवार्य होगा।
- प्रथम काउन्सिलिंग से प्रवेशित अभ्यर्थी के पुनरावंटन होने की स्थिति में पूर्व में जमा किये गये मूल शैक्षणिक अभिलेख/शुल्क जमा किये जाने संबंधी रसीद पुनरावंटित कालेज के प्रवेश सेन्टर पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- द्वितीय काउन्सिलिंग से आवंटन प्राप्त नये अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय समस्त मूल शैक्षणिक/जाति प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य है।
- द्वितीय चक्र की काउन्सिलिंग से निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंटल कालेजों में पुनरावंटित अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क के अन्तर की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट संबंधित नोडल सेन्टर पर जमा करना अनिवार्य होगा।
- द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग में **Choice** भरने के उपरान्त **Choice Lock** करना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं हो पायेंगे, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
- अभ्यर्थी राजकीय क्षेत्र की आल इण्डिया कोटे से समर्पित सीटों तथा प्रदेश की सीटों पर को अलग अलग विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं। इसका विस्तृत विवरण शासनादेश दिनांक 03 जुलाई 2018 एवं नीट यू0जी0 2018 के ब्रोशर में उल्लिखित हैं, जिसे अवलोकित किया जा सकता है।